25/2/15 आज साइल अग्रिम कार्य में / गैरहा / दौर में होने से ला.भेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 10.3.15 को पेश हों।

10/3/15 पत्रावली पेश हुई। वकील इश्तयाक पक्ष उप.। रेस्पो. सं. 2, 3, 5, 6, 7 का Rs. 00 खर्चा अग्रण जमा कराया है अतः इनका खर्चा पूर्व Rs. 100 खर्चा पेश करने पर जारी हो। पत्रावली पानें पेश करने Rs. 00 खर्चा रेस्पो सं. 2, 3, 5, 6, 7 एवं वादी इस्तयाक रेस्पो. सं. 1, 4, 8, 9, 14, 15 दिनांक 9/5/15 को पेश हो।

09/5/15 पत्रावली पेश हुई। वकील इश्तयाक पक्ष उप.। रेस्पो. सं. 1 एवं 7 की ओर से कोई पैरवी हेतु उपस्थित नहीं। पत्रावली पानें इस्तयाक रेस्पो. सं. 8, 9, 14, 15 दिनांक 27/6/15 को पेश हो।

27/6/15 पत्रावली पेश हुई। वकील इश्तयाक पक्ष उप.। पत्रावली पानें इस्तयाक रेस्पो. सं. 8, 9, 14, 15 दिनांक 25/8/15 को पेश हो।

25/8/15 आज साइल अग्रिम कार्य में / गैरहा / दौर में होने से ला.भेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 21/12/15 को पेश हों।

03/10/15 रेस्पो वादी ला.प्र. हाजत बैरों से पत्रावली पेशी नियमित तारीख पेशी से आज तक की गयी। वकील वादी उप.। वादी एवं उप.। वकील प्रति. कब हाजत बैरों ला.प्र. लिया गया। पत्रावली एवं बैरों ला.प्र. का अवलोकन किया गया। वादी. एवं प्रकरण में उठे विवादों का दृष्टिकोण नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में कोई अतिरिक्त कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं रहा है। अतः वकील वादी. एवं हाजत बैरों ला.प्र. सुनकर किया जाकर उपरोक्त बैरों किये जाने के सुझावों तदाय की जाती है। एवं प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)